पत्रांक– 04 / वि0–16–136 / 2024 (403001)- 2190

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक- 30.10.2026

विषय :– **विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार एवं गरिमामयी वातावरण के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2081 दिनांक 09.10.2024 एवं विभागीय पत्रांक–1485 दिनांक–20.07.2026।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निदेश दिया गया था, किंतु विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी भी बड़े पैमाने पर विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में उक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है।

विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यालय संस्कृति के विरूद्ध अनौपचारिक (Casual) परिधान (यथा–जींस–टी–शर्ट) में विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आ रहें हैं। साथ ही अन्य माध्यमों से नृत्य, डी.जे., डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधयां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढ़ंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। केवल शिक्षा कैलेण्डर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय पटना उच्च नयायालय पटना में अवमानना के क्रम में उपस्थित होने के क्रम में "Formal Dress" अनिवार्य होगा ताकि Majesty of Law को मान्य किया जा सके।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में पुनः निदेश दिया जाता है कि विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षण / कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (Formal Dress) में ही विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आयेंगे। इसका अनुपालन करना / करवाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30.10.26

(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक– 04 / वि0–16–136 / 2024-2190 पटना, दिनांक– 30.10.2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के आशुलिपिक / विशेष सचिव के आशुलिपिक / सभी निदेशक / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.10.26

निदेशक (प्रशासन)